

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



पीठासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई०ए०एस०
राजस्व अपील सं० 86/2018

बत्तो देवी आयु 70 वर्ष बेवा नन्नूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौसमपुर पट्टी तहसील
महवा जिला दौसा ...अपी०

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, महवा जिला दौसा

...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.12.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, महवा

उपस्थित : 1.श्री मानसिंह पाटोली, अधिवक्ता अपीलांत
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय


दिनांक 20.08.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, महवा ने दिनांक 22.12.2017 को ग्राम जगरामपुरा के आ०ख०न० 38 रकबा 0.25 है० व 39 रकबा 0.25 कुल रकबा 0.50 है० किस्म जमीन चरागाह पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 2 माह (60 दिवस) की सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांत द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपीलांत की स्वयं की चरागाह भूमि से लगती हुई खातेदारी भूमि है। पटवारी हल्का ने मौके की जांच किये बिना व अपीलांत को बिना सीमा समझाएँ ही झूठी रिपोर्ट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांत के तर्कों का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि



साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चरागाह भूमि पर सरसों व गेहूँ बोकर पुराना अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उनके पुत्र उपस्थित होकर दिनांक 08.12.17 को प्रा० पत्र पेश किया है। साथ ही उनका पुत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख पेशी के दिन उपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी० को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उनके पुत्र उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "गेहूँ व सरसों" व कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का चरागाह भूमि पर पश्चावर्ती अतिक्रमण है। अपीलांट का कथन उचित नहीं है कि उनकी खातेदारी भूमि से लगती हुई चरागाह भूमि की उनके सामने पटवारी हल्का ने पैमाईश नहीं की। यह तो अपीलांट स्वयं का दायित्व था कि वे स्वयं अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश करते। लेकिन उन्होंने महज अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से बचने के लिए अपना जवाब व वरवक्त बहस में उक्त बात बतायी है। इसलिए उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। अपीलांट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। वर्तमान में भूमि चरागाह अंकित है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 20 अगस्त, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

